हेमन्त सोरेन
HEMANT SOREN

मुख्यमंत्री
CHIEF MINISTER

अ०शा०प०सं०....4000032
दिनांक.......01/05/2026

विषय : जनगणना 2027 में आदिवासी/सरना धर्म को पृथक पहचान के रूप में शामिल करने के संबंध में।

आदरणीय राष्ट्रपति महोदया,

मैं झारखण्ड की जनता, विशेषकर देश के करोड़ों आदिवासी भाई–बहनों की ओर से वर्ष 2027 की जनगणना में आदिवासी/सरना धर्म कोड को पृथक धार्मिक पहचान के रूप में शामिल करने का अनुरोध को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ।

इसी क्रम में मैं आपकी छत्रछाया में 2027 की जनगणना को प्रारंभ करने के लिए विशिष्ट रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। यह जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी, किन्तु विभिन्न आपदाओं की पृष्ठभूमि में इसे परिस्थितिवश टालना पड़ा और अब आपके कुशल पर्यवेक्षण में यह जनगणना संपादित किया जा रहा है।

महोदया, आप जनगणना कराने की पृष्ठभूमि से भली–भांति अवगत हैं एवं आपने सदैव देश के विकास में आकड़ों और वैज्ञानिक तथ्यों पर विशेष बल दिया है। किसी भी राष्ट्र की जनता, प्रक्षेत्र और क्षेत्र के विकास के लिए "तथ्य आधारित नीति" ही सर्वोत्तम मार्ग है, अन्यथा देश में असंतुलित विकास की परिस्थिति बनने की संभावना रहती है।

मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जनगणना 2027 की सम्पूर्ण कार्रवाई में राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग कर रही है एवं आज मैंने Self Enumeration करके इस अभियान में छोटी भूमिका के निर्वहन करने का प्रयास किया है।

इस क्रम में मुझे यह जानकारी दी गयी है कि प्रथम चरण में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त Household धारित करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है अथवा नहीं इसका अंकन भी किया जायेगा। इसी क्रम में यह तथ्य उभर कर आया कि प्रत्येक नागरिक से जुड़े व्यक्तिगत आकडों का संकलन द्वितीय चरण में किया जायेगा। आगामी जनगणना की प्रक्रिया में मैंने सरना धर्म की पृष्ठभूमि तथा आदिवासी समुदाय के अपने सरना धर्म के प्रति भावनात्मक

Kanke Road, Ranchi - 834 008 (Jharkhand)
Tel.: 0651-2280886, 2280996, 2400233 Fax.: 0651-2280717, 2400232
E-mail: chiefminister.jharkhand19@gmail.com

जुड़ाव को दृष्टिपथ में रखते हुए जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए पृथक आदिवासी/सरना धर्म कोड का प्रावधान रखने का अनुरोध माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था।

मुझे उम्मीद है कि जनगणना के द्वितीय चरण में धर्म से संबंधित जानकारी से जुड़े प्रपत्र/कॉलम में राज्य की आकांक्षा, विधानसभा का संकल्प, सभी आदिवासी समाज की भावना एवं राज्य सरकार की ओर से मेरे द्वारा किये गये विशेष अनुरोध को दृष्टिपथ में रखते हुए आपके द्वारा गंभीरता से विचार किया जायेगा।

राज्य की आकांक्षा, आदिवासी समाज की भावना तथा विधानसभा के संकल्प मूलतः इस पृष्ठभूमि से हैं कि जनगणना मात्र आंकड़ों की गणना नहीं है, बल्कि यह आंकड़ों की गहराई का भी विश्लेषण करती है, जिसका प्रयोग मुख्यतः नीति निर्धारण, कल्याणकारी कार्य, संवैधानिक संरक्षण तथा ''तथ्य आधारित प्रशासन'' में किया जाता है। किसी समाज की पहचान उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक विशेषता से होती है, वहीं दूसरी ओर उस समाज के विकास से जुड़े सभी आयामों को प्रभावित भी करती है।

देश की आजादी से पूर्व जनगणना प्रक्रिया में विभिन्न समाज द्वारा अपनाये जा रहे धार्मिक, विशिष्टताओं, उनके रीति–रिवाज तथा पहचान को अंकित किया जाता रहा है, किन्तु स्वतंत्र भारत में आदिवासी समाज के धर्म को अंकित करने की परम्परा नहीं रखी गयी। आदिवासी समाज के द्वारा अपनाये जा रहे सरना धर्म के विभिन्न विशिष्टताओं, अलग–अलग पूजा स्थल, कूल देवता/प्रकृति देवता एवं ग्राम देवता का प्रचलन, परम्परा एवं त्योहार, पुजारियों के द्वारा पूजा किये जाने की व्यवस्था का प्रचलन है। यह सरना धर्म को विशिष्ट धर्म के रूप में अलग पहचान देता है।

यह भी विचारणीय है कि किसी समाज से जुड़े विभिन्न आयामों एवं उनसे संबंधित आंकड़ों का समुचित संकलन ससमय नहीं किया जाता है तो उसका नीति–निर्धारण पर दूरगामी कुप्रभाव पड़ सकता है। आप अवगत होंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना में, अलग कोड उपलब्ध नहीं होने

कॉंके रोड, रॉंची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax- 2280717, 2400232

के बावजूद, देश के 21 राज्यों के लगभग 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में स्वप्रेरणा से "सरना" अंकित कराया।

महोदया, झारखण्ड राज्य का गठन उसकी आदिवासी पहचान के आधार पर ही हुई है। झारखण्ड राज्य की नीति, योजनाएं तथा निर्णय यहाँ के स्थानीय लोगों की भावना पर आधारित है। जिसके केन्द्र में विभिन्न समुदाय खासकर आदिवासी समाज की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता है। ऐसी परिस्थिति में तथा इन सभी आयामों को जनगणना की प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। खासकर तब जबकि भारत तकनीकी क्षेत्र में अत्यंत विकसित स्थिति में है एवं सारे कार्य **Digital** तरीके से किया जा रहा है, ऐसे में धर्म के कॉलम में सरना धर्म को, अथवा अन्य ऐसे सद्श्य धार्मिक अस्तित्व को मान्यता देते हुए अलग कोड दिये जाने से, आंकड़ों का संकलन बेहतर तरीके से किया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।

इस विषय–वस्तु पर आपकी भूमिका संवैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में और भी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की धारा– 244, 338A, 339 एवं 275 ने आपको आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता की सुरक्षा के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ऐसे में जहाँ एक ओर संवैधानिक रूप से तथा दूसरी ओर देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जनजातीय प्रतिनिधि होने के नाते आप इस समाज के अभिभावक हैं और ऐसे में सम्पूर्ण आदिवासी समाज आपसे इस मामले में हस्तक्षेप की आकांक्षा रखता है।

मैंने इस विषय–वस्तु पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है तथा उनसे इस मामले में लोगों की जनभावना को पूरा करने का अनुरोध किया है।

मैं पुनः आपके कुशल मार्गदर्शन में देश की प्रगति की प्रशंसा करते हुए एवं समस्त झारखण्डवासियों की ओर से साधुवाद देते हुए आदिवासी समाज की भावना तथा झारखण्ड राज्य की आंकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अनुरोध करता हूँ कि द्वितीय चरण की जनगणना के लिए निर्धारित किये जाने वाले प्रपत्र में सरना धर्म (साथ ही अन्य सदृश्य धार्मिक व्यवस्था) को अलग कोड देते हुए उसकी पहचान बरकरार रखने का निर्देश देना चाहेंगी।

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax– 2280717, 2400232

यह राज्य तथा सम्पूर्ण आदिवासी समाज आपकी इस पुनीत कार्य के लिए सदैव ऋणी रहेगा।

जोहार!

(हेमन्त सोरेन)

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
माननीय राष्ट्रपति,
भारत गणतंत्र,
नई दिल्ली।

काँके रोड, राँची-834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233. फैक्स/Fax- 2280717, 2400232